न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक रिव्यू 1188-PBR-15 /2015 जिला–शिवपुरी

श्री ______ अधि. द्वारा आज दि. 25.5.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 25.5.15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

शिवदयाल पुत्र श्री भंवरसिंह यादव निवासी–ग्राम करौठा, तहसील करैरा, जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

...........आवेदक

विरूद्ध

1– ठाकुरदास पुत्र मन्नूलाल यादव निवासी–ग्राम करौठा, तहसील करैरा, जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला – शिवपुरी

.... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1040-II/2005 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02.04.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम करौठा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 952 रकवा 1.00 है0 भूमि का व्यवस्थापन नायब तहसीलदार करैरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 50/94–95/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 13.02.95 द्वारा किया गया था। चूंकि विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा दिनांक 02.10.1984 के पूर्व से लगातार कास्त करते चला आ रहा था। इस कारण नायब तहसीलदार करैरा द्वारा मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोगी की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध (सन् 1984) के अधीन किया गया था।

2– यहकि, नायब तहसीलदार करैरा के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष प्रकरण क्रमांक 88/97–98 अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत की गयी थीं। जबकि अनावेदक क्रमांक 1 न तो विचारण न्यायालय में पक्षकार था। ओर न ही हितबद्व पक्षकार ऐसी स्थिति में उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था। इस वैधानिक बिन्दु पर विचार किये बिना जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया है। वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, अनुविभागीय अधिकारी के क्षेत्राधिकार रहित आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 125/97–98 प्रस्तुत किया गया था। जो आदेश दिनांक 11.05.2005 द्वारा मात्र इस आधार पर खारिज किया गया। कि आवेदक को व्यवस्थापित भूमि सेवा भूमि थी, अतः ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि का व्यवस्थापन नहीं हो सकता था। जबकि ऐसा कोई प्रमाण शासकीय अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अपने निष्कर्षों में जिस प्रकरण क्रमांक का उल्लेख

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 1188–पीबीआर/15 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषक हस्ताक्षर आदि के
19–11–2015	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह रिव्यू आवेदन इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण कमांक 1040–दो/2014 में पारित आदेश दिनांक 02–4–14 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में रिव्यू प्रकरण एवं इस न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 02–4–14 के विरूद्ध यह रिव्यू दिनांक 25–5–15 लगभग 1 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया है। प्रश्नाधीन आदेश की जानकारी दिनांक, नकल प्राप्ति दिनांक आवेदक को कब और कैसे हुई इसका कोई कारण एवं दिनांक म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में नहीं दर्शाया है। तर्क में मात्र यह कह देने से उन्हें आदेश की जानकारी बेवसाईट पर आदेश डालने पर हुई, यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें एक वर्ष पश्चात हुई क्योंकि आवेदक अभिभाषक के तर्क सुनने के पश्चात ही प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया गया था अतः उनके द्वारा एक वर्ष तक आदेश की जानकारी नहीं होने का ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया है। अतः यह रिव्यू आवेदन अवधि बाह्य होने से निरस्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	